न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 292/1993 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-3-1993 पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 227/1991-92 अपील

श्रीमती मुन्नीवाई पत्नि नरोत्तम काछी
ग्राम कठघर,तहसील सवलगढ़ जिला मुरैना ---आवेदिका

विरूद्ध

बहादुर पुत्र शिवलाल तथाकथित दत्तक
पुत्र सुखुआ जाति काछी निवासी ग्राम
हीरापुर तहसील सवलगढ़ जिला मुरैना ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 15-10-2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 227/1991-92 अपील में पारित दिनांक 18-3-1993 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि सुखुआ पुत्र माधौ काछी निवासी ग्राम कठघर के नाम ग्राम कठघर में भूमि सर्वे क्रमांक 15, 27, 517 भूमिस्वामी स्वत्व पर थी तथा ग्राम हीरापुर में सर्वे क्रमांक 206, 207, 208, 345, 374 में हिस्सा 1/2

भूमि थी। दिनांक 13-11-89 को सुखुआ बेओलाद मृतक हुआ आवेदिका ने सुखुआ व्दारा उसके हित में किये दो बसीयतनामा प्रस्तुत कर नामान्तरण की मांग की एंव अनावेदक ने दत्तक पुत्र होने के आधार पर नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत किये। नायव तहसीलदार सवलगढ़ ने प्रकरण कमांक 11/1989-80 अ-6 पंजीबद्व कर उभय पक्ष की सुनवाई कर आदेश दिनांक 29-2-1992 पारित किया तथा बसीयतनामा अपॅजीकृत होने तथा प्रमाणित न होने के कारण एंव पंजीकृत गोदनामा प्रमाणित पाये जाने से अनावेदक का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व आवेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ के समक्ष अपील कमांक 14/91-92 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 22-7-92 से अमान्य की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 227/1991-92 अपील में पारित दिनांक 18-3-1993 से निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदिका के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर मनन् करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन पर परिलक्षित है कि आवेदिका जिन बसीयतों के आधार पर स्वंय् को मृतक भूमिस्वामी सुखुआ का उत्तराधिकारी बताते हुये नामान्तरण की मांग कर रही है वह अपॅजीयत बसीयतें हैं जबकि अनावेदक के हित में संपादित गोदनामा पंजीकृत है । नायव तहसीलदार ने

जब आवेदिका व्दारा प्रस्तुत गोदनामा एंव साक्षीगण के कथनों का परिशीलन किया, तब उनके कथनों में विसंगतियॉ पाई हैं। मृतक सुखुआ की दो ग्रामों में भूमियॉ है एंव दोनों ग्रामों की अलग अलग बसीयतें आवेदिका ने प्रस्तुत की है जबकि मृतक सुखुआ यदि अपनी भूमियां आवेदिका को दे रहा था, निश्चित है एक ही बसीयत व्दारा दोनों ग्रामों की भूमियॉ प्रदान करेगा - इस प्रकार आवेदिका व्दारा प्रस्तुत बसीयतें संदेह के दायरे में पाई गई है। इसके विपरीत साक्षी भूपसिंह और गोविन्दसिंह तथा अनावेदक बहादुर की मॉ के कथनों से मृतक सुखुआ व्दारा अनावेदक बहादुर को गोद लेना-देना प्रमाणित हुआ है जिसके कारण नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 29-2-1992 से अनावेदक को मृतक सुखआ दत्तक पुत्र होना प्रमाणित होने से नामान्तरण किया है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ ने अपील क्रमांक 14/91-92 में पारित आदेश दिनांक 22-7-92 से तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने अपील प्रकरण क्रमांक 227/1991-92 में पारित दिनांक 18-3-1993 से नायव तहसीलदार के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 227/1991-92 अपील में पारित दिनांक 18-3-1993 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर